23-2-21	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं० 1 का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं० 1 उपस्थित नहीं। मिसल वास्ते आदेश हेतु दिनांक 3-3-2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
3-3-2021	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर आदेश किया जाता है। प्रार्थना पत्र अ०धारा-136 LR Act प्रार्थीया द्वारा पेश कर कथन किया गया है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं० 1 की संयुक्त काश्त की कृषि भूमि खसरा नं० 648 रकबा 0.15 है० व खसरा नं० 651 रकबा 0.30 है० राजस्व ग्राम चिड़ावा में स्थित है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं० 1 की संयुक्त काश्त की भूमि का प्राथमिक डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री के मुताबिक दिनांक 7-11-2019 को डिक्री किया गया। न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में इन्तकाल संख्या 2521 दिनांक 4-12-2019 स्वीकार हुआ। जिसके क्रम में प्रार्थीया के हिस्से में खसरा नम्बर 1530/648 रकबा 0.1000 है० तथा खसरा नं० 1532/651 रकबा 0.1250 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.2250 है० भूमि की खातेदारी प्रार्थीया को प्राप्त हुई। न्यायालय के निर्णय में विभाजन प्रस्ताव का रकबा गलत होने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे में गलत रूप से तरमीम की गई खसरा नम्बर 1533/651 का कुछ भाग जो नक्शे में -ए स्थान से दर्शाया गया है को अप्रार्थीया संख्या 1 के हिस्से की तरफ दर्शाया गया है। तथा खसरा नम्बर 1530/648 का कुछ भाग जो नक्शे में बी स्थान पर दर्शाया गया है वह भाग अप्रार्थीया के हिस्से में आना चाहिए था जो प्रार्थीया की तरफ दर्शाया गया है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया ने मौके पर क्रय दिनांक से ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को बराबर-बराबर बांट रखा है। तथा दोनों ने मौके पर पुख्ता दिवार बनाकर दोनों ही पक्षकार अपने-अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1533/651, 1534/651, 1530/648, 1531/648 राजस्व ग्राम चिड़ावा के राजस्व नक्शे को दुरुस्त कर विभाजन प्रस्ताव व कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अभिलिखित कर संशोधित कर निर्णय पारित करे तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जावे कि वह नक्शे में संशोधन [illegible] प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से [illegible] तहसीलदार चिड़ावा ने रिपोर्ट पेश कर अवगत [illegible] गये विभाजन अनुसार (1) सन्तोष [illegible] जाति- जाट [illegible] हेड खातेदार के खसरा नं० 1530/64[illegible] रकबा 0.10 है० व [illegible] नं० 1532/651 रकबा 0.1250 है० किता-2 रकबा 0.2250 है० और (2) द्रोपती पत्नी शिशराम नि० झुंझु० जाति-जाट सा० हेड उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.06.21 12:51:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	खातेदार खसरा नं० 1531/648 रकबा 0.05 है० व खसरा नं० 1533/651 रकबा 0.1750 है० किता-2 रकबा 0.2250 है० दर्ज रिकार्ड है। उक्त विभाजन की ऑन लाईन तरमीम करने पर मूल खसरा नं० 651 व 648 सम्मिलित होने के कारण रकबा सही नहीं होने के कारण तरमीम गलत हो गई थी जिससे रिकार्ड व मौका मे अन्तर हो गया। रिकार्ड व मौका मे एकरूपता करने के लिए खसरा नं० 1533/651 रकबा 0.1750 है० मे से 0.0150 है० सन्तोष पत्नी राजेश कुमार जाति जाट के हिस्सा मे जोड़ा जावे और खसरा नं० 1530/648 रकबा 0.10 है० मे से 0.0150 है० द्रोपती पत्नी श्रीशराम(?) जाति जाट के हिस्सा मे जोड़ा जावे तो मौका व रिकार्ड की स्थिति एक हो जायेगी। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों व तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त यह आदेश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम कल्याण(?) चिड़ावा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1533/651 रकबा 0.1750 है० मे से 0.0150 है० भूमि प्रार्थिया के हिस्सा भूमि मे जोड़ा जावे तथा भूमि खसरा नं० 1530/648 रकबा 0.10 है० मे से 0.0150 है० भूमि अप्रार्थिया संख्या-1 के हिस्से मे जोड़ी जावे जिससे प्रार्थिया व अप्रार्थिया संख्या-1 के मौका व रिकार्ड की स्थिति एक हो जायेगी। तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधन कर नक्शे मे तरमीम करे। तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जावे हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखील दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.06.21 12:51:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner